कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 12/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री रामचन्द्र गुप्ता, 31–ब्रहमकुमारीज मार्ग, वार्ड नं0 38, सेक्टर नं0 09, हनुमानगढ जंक्शन।

––अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

––प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः–05.04.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी स्वयं उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से श्री ललित कुमार चढ्ढा एडवोकेट द्वारा दिनांक 03.04.2018 को लिखित बहस पेश की गई थी। अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2017 एनेक्सर–1 पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई जो तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा नही दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.03.2018 से जो सूचना दी गई है उसका चाही गई सूचना से कोई संबंध नही है। प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2017 के बिन्दु 2 संख्या के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई है। सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाये जावे।

अपीलार्थी के कथनो पर मनन किया तथा पत्रावली एवं अपीलार्थी की लिखित बहस का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र दिनाक 16.12.2018 की फोटो कापी का अवलोकन करने से प्रार्थी द्वारा धग्धर बहाव क्षैत्र मे टाउन जंक्शन मार्ग पर चक संख्या 49 एन.जी. सी. के प0 नं0 124/260 के किला नं0 11,12,19 व 20 की भूमि को खातेदारो द्वारा राज्य सरकार को समर्पित किया जा चुका है पर हेमेन्द्र चमडिया आदि बिना मालिकाना हक व विधिपूर्ण प्राधिकार के अकृषि प्रयोजनार्थ अधिभोग किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी को बेदखल करने के संबंध में तथा पैरा 2 में प्रश्नगत भूमि धग्धर बहाव क्षैत्र में आती है प्रश्नगत भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकता है अंकित होना पाया गया है। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के पत्र कमांक 168 दिनांक 28.03.2018 का अवलोकन करने से उनके द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2018 के संबंध में वांछित सूचना अपीलार्थी को भिजवाया जाना पाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अपीलार्थी आवेदन तिथि को अभिलेखो में जो सूचना जिस रूप में उपलब्ध होती है उसी रूप में ले सकता है। सूचना क्रीयट (Create) कर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है। अपीलार्थी का यह कथन करना कि सूचना पूरी नही दी गई है। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आदेवन पत्र दिनांक 15.01.2018 के अनुसर कोई सूचना दिया जाना शेष हो तो प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार दी जावे। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ को यह भी निर्देश दिये जाते है कि वांछित प्रकरण में नियमानुसार छोटी–छोटी तारीख पेशी दी जावे। उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

प्र०

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ